सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTERANGEAZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 15.12.2024

आजमगढ़

01.थाना मुबारकपुर- हत्या के अभियोग का अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार एवं अभियुक्त की निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल ईंट बरामद।

पूर्व की घटना–

दिनांक 21.11.2024 को वादिनी मुकदमा श्रीमती छोहाड़ी देवी पत्नी बालकिशुन निवासी मोहल्ला सिकठी शाहमोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दाखिल किया कि मेरे पति बालकिशुन मजदूरी करने के लिये दिनांक 19.11.2024 को समय 08.00 बजे गये थे शाम को घर वापस नही आये बाद मे पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिनी के पति बालकिशुन की हत्या करके लाश को इस्लामपुरा यूनिवर्सिटी के पास फेंक दिया गया है। इस सूचना पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 464/2024 धारा 103(1)/238 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 14.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय हमराह पुलिस बल के प्रकाश मे आया हुआ वांछित अभियुक्त रफीक अहमद पुत्र इकबाल अहमद निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ की तलाश मे रोडवेज मुबारकपुर पर मौजूद था कि मुखबिर खास की सूचना पर मछली मण्डी के पास से प्रकाश मे आये अभियुक्त रफीक अहमद पुत्र इकबाल अहमद निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 52 वर्ष को एक बारगी घेर कर पकड़ लिया गया। तस्दीक इतमिनान होने पर समय 09.30 बजे दिन मे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रफीक अहमद उपरोक्त की निशांदेही पर हत्या मे प्रयुक्त आला कत्ल (ईंट) की बरामदगी घटनास्थल के पास असरफिया यूनिवर्सिटी के पीछे तालाब के किनारे झाड़ियों मे से बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-रफीक अहमद पुत्र इकबाल अहमद निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 52 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 464/2024 धारा 103(1)/238 BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- प्र0नि0 निहार नन्दन कुमार, का0 इजहार अंसारी, का0 आलोक रंजन, म0का0 शिवानी सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

जनपद –मऊ

1.तीन अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइलफोन, 1100 रुपये, एक अवैध तमंचा एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 14.12.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर

की सूचना पर कुण्डा शरीफ निर्माणाधीन पुलिया के पास से एक मोटरसाईकिल पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया तो वाहन मोड़कर भागने का प्रयास किये जिस पर मौजूद पुलिस बल द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उक्त के कब्जे से चोरी के दो मोबाइलफोन, 1100 रुपये, घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल पल्सर (यूपी54एडब्लू4955) तथा एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.12.2024 को हम तीनों इसी मो0साईकिल से चौथी मिल से सउदी नहर सड़क मार्ग की तरफ जा रहे थे कि सउदी नहर के पास ही एक मो0साईकिल के पास एक महिला व पुरुष अपने बच्चे को लघुशंका करा रहे थे तथा महिला का पर्स मो0 साईकिल पर रखा हुआ था, हम तीनों उस पर्स को चुराकर भाग गये जिसमें एक मोबाइलफोन व 03 हजार रुपये मिले थे। साथ ही करीब 02 माह पूर्व सिकड़ीकोल बंधा के पास से एक राहगीर से एक मोबाइल चोरी कर लिये थे।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. सुदामा उर्फ सोनू पुत्र रामभवन निवासी लिलहवा थाना मधुबन मऊ।
2. पतिराम यादव पुत्र जयनाथ निवासी नकिहवा थाना बरहज जनपद देवरिया।
3. गोलू उर्फ कृष्णा पुत्र शिवप्रसाद निवासी परसिया देवारा थाना बरहज जनपद देवरिया।

बरामदगी-

1. चोरी के दो मोबाइलफोन व 1100 रुपये।
2. घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल पल्सर (यूपी54एडब्लू4955)।
3. एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

उ0नि0 दिवाकर राणा, उ0नि0 दुर्गेश कुमार, हे0का0 अमित कुमार, हे0का0 अभिजीत कुमार, का0 प्रदीप मिश्र, का0 सूरज थाना मधुबन मऊ।

जनपद – बलिया

1. थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 09 राशि गोवंश(गाय) व 10 राशि बछड़ा सहित 01 अदद मोटरसाइकिल रजि0 नं0UP60BD4298 बरामद ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय श्री विक्रान्त वीर के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के सफल पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर के कुशल नेतृत्व मे थाना सिकन्दरपुर पुलिस टीम को मिली सफलता।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.12.24 को थाना सिकन्दरपुर पुलिस टीम के प्रशिक्षु उ0नि0 सूरज पटेल मय हमराह हे0का0 विरेन्द्र यादव व का0 सुनील शाह द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन मे बंशीबाजार के पास मौजूद थे कि हस्बुल तलब उ0नि0प्र0 प्रशान्त दूबे मौके पर उपस्थित आये पुलिस टीम द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील होकर चेकिंग की जा रही थी कि ढोरीडीह मोड़ के पास से 01 नफर अभियुक्त लल्लन पुत्र रामआशीष उम्र 50 वर्ष सा0 मुईया PS सिकन्दरपुर जनपद बलिया को समय करीब 06.00 AM बजे 09 राशि गोवंश(गाय) व 10 अदद बछड़ा सहित 01 अदद मोटरसाइकिल रजि0 नं0UP60BD4298 के साथ पकड़ लिया गया, जबकि 04 सहअभियुक्त/गौ तस्कर मौके से फरार हो गये । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिकन्दरपुर पर मुकदमा पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

पूछताछ अभियुक्त-

अभियुक्त से बरामद शुदा मवेशियों के बारे मे कडाई से पूछने पर बताया कि साहब हमलोग पशुओ को आस पास से पकड़ कर वध हेतु बिहार ले जाते हैं, आज भी इन पशुओं को बध हेतु बिहार लेकर जा रहे थे कि आप लोगो के द्वारा पकड़ लिये गये हमलोगो का यही पेशा है हम यही धन्धा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 384/2024 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

1.लल्लन पुत्र राम आसीष निवासी मुईया थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया उम्र करीब 50 वर्ष

<u>वांछित अभियुक्त-</u>

1. 04 नफर (मौके से फरार)

<u>बरामदगी-</u>

1. 09 राशि गोवंश(गाय)
2. 10 राशि बछड़ा
3. 01 अदद मोटर साइकिल रजि नं0- UP60BD4298

<u>2. थाना रसड़ा, जनपद बलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 625/2024धारा 109,115(2),352,351(3),3(5) BNS से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अनिल कुमार झा तथा श्रीमान् क्षेत्राधिकारी रसड़ा श्री मो0 फहीम कुरैशीके सफल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक रसड़ा के नेतृत्वमेंआज दिनांक- 14.12.2024 को थाना रसड़ा पुलिस टीम के उ0नि0 रमाशंकर मय फोर्स द्वारा थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 625/2024 धारा 109,115(2),352,351(3),3(5) BNS से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सत्यनारायन सिंह पुत्र स्व0 सुबेदार सिंह निवासी ग्राम सुल्तानीपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा के पास से समय करीब 14.10 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया। थाना स्थानीय द्वारा विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

<u>संबंधित अभियोग-</u>

1. मु0अ0सं0 625/2024 धारा 109,115(2),352,351(3),3(5) BNS थाना रसड़ा बलिया

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1. सत्यनारायन सिंह पुत्र स्व0 सुबेदार सिंह निवासी ग्राम सुल्तानीपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 65 वर्ष

3. थाना बांसडीहरोड जनपद बलिया पुलिस द्वारा चोरी से सम्बन्धित 01 नफ़र वांछित अभियुक्त को कियागया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए रूपए को किया गया बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों / वांछित / फरार अभियुक्तों / वारण्टी अभियुक्तों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार झा के निकट पर्यवेक्षण में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी श्री प्रभात कुमार बाँसडीह के कुशल नेतृत्व में थाना बांसडीहरोड पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-11.12.2024 को समय करीब 10 बजे रात्रि के आस पास टकरसन थाना-बांसडीहरोड,जनपद बलिया में स्थित बुढ़वा शिव मन्दिर में लगे दान पेटी व शिव लिंग नन्दी जी को सन्नी बहेलिया पुत्र हरेन्द्र बहेलिया निवासी टकरसन थाना-बांसडीहरोड,जनपद बलिया क्षतिग्रस्त/तोड़ दिया तथा शिवलिंग व नन्दी महाराज को भी तोड़-फोड़ कर विखण्डीत कर दिया दानपेटी में रखे लगभग 1100 से 1200 रू को चुरा ले गया था। इस घटना से जनता में काफी आक्रोश था। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक-12.12.2024 को अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इसी

क्रम में दिनांक-14.12.2024 को समय 09.20 बजे उ0नि0 महेन्द्र रावत द्वारा हमराह/कर्मचारीगण के साथ चेकिंग तलाशी व दबिश के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-255/2024 धारा-298,303(2) बीएनएस से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त शनि कुमार उर्फ सन्नी बहेलिया पुत्र हरेन्द्र बहेलिया निवासी ग्राम टकरसन थाना बांसडीहरोड जनपद बलिया को सोनाडाबर से काशीराम आवास टकरसन की ओर आने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया लिया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को थाना स्थानीय पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा भेजा गया।

गिरफ्तार नामित वांछित अभियुक्त-

1. शनि कुमार उर्फ सन्नी बहेलिया पुत्र हरेन्द्र बहेलिया निवासी ग्राम टकरसन थाना बांसडीहरोड जनपद बलिया

बरामदगी-

755 रूपया नगद जिसमें 100 रूपये के 02 नोट, 50 रूपये के 5 नोट, 20 रूपये के 10 नोट, 10 रूपये के 8 नोट व 05 रुपये के 05 सिक्के बरामद हुआ ।